बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

आ०सं०–2 / अ०प्र०–1–13 / 2016   1823   / पटना, दिनांक :– 3.12.2020

श्री अरविन्द कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जयनगर से जुलाई 2015 एवं अगस्त 2015 का मासिक लेखा विवरणी ससमय महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को समर्पित नहीं करने के आरोप पर आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय पत्रांक 1460 अनु0 दिनांक 27.04.2016 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण दिनांक 24.05.2016 में उल्लेख किया गया कि प्रमंडलीय रोकड़वही एवं अन्य अभिलेखों को स्थानांतरित कार्यपालक अभियंता एवं रोकड़पाल द्वारा अद्यतन कर ससमय नहीं सौपने के कारण जुलाई, 2015 एवं अगस्त, 2015 का मासिक लेखा महालेखाकार कार्यालय को ससमय समर्पित नहीं किया जा सका।

3. श्री कुमार के स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी और समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकार योग्य पाते हुए उन्हें भविष्य में अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहने की चेतावनी देने का निर्णय लिया गया है।

4. प्रस्ताव में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

अतः उक्त के आलोक में श्री अरविन्द कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जयनगर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, फारबिसगंज को भविष्य में अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहने की चेतावनी दी जाती है।

2.12.20

(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

ज्ञापांक :– 2 / अ0प्र0–1–13 / 2016   1823   / पटना, दिनांक :– 3.12.2020

प्रतिलिपि :–सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग / अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, किशनगंज / प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग / विभागीय आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग / श्री अरविन्द कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जयनगर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, फारबिसगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.12.20

उप सचिव